



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102024-258250
CG-DL-E-26102024-258250

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4295]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2024/कार्तिक 3, 1946

No. 4295]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2024/KARTIKA 3, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4671(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3139(अ) तारीख 02 अगस्त 2024, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 06 अगस्त, 2024, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में एल पी जी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हाल्दिया से पानागढ़ पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 5 सितम्बर, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ;

अनुसूची

जिला: हूगली				राज्य: पश्चिम बंगाल				
क्रम संख्या	पोलिस स्टेशन	ब्लॉक	मौजा का नाम एवं जे.एल नंबर	नक्शा प्रकाशन प्रकार	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल		
						हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोघाट	गोघाट-1	बेलेकुसुमा-196	RSM	1428/1486	00	00	05
					1389	00	00	29
					1044	00	00	62
					1002	00	00	40
2	गोघाट	गोघाट-1	नकुण्ड-187	LRSM	4535	00	00	09
					6122	00	00	70
					6136	00	00	76
					6218	00	00	30
					6455	00	00	72
					6429	00	01	18
					6423	00	00	61
					6175	00	00	19
3	गोघाट	गोघाट-1	कुडमना-118	RSM	1436	00	00	10
					881	00	01	04
					715	00	00	35
4	गोघाट	गोघाट-1	शुनिया-119	RSM	3672	00	00	30
					3674	00	00	04
					3670	00	00	16
					3667	00	00	37
					3656	00	00	02
					3560	00	00	21
					3479	00	00	02
					3477	00	00	35

					1439	00	00	24
					1429	00	00	39
					332	00	00	19
					342/1602	00	00	79
					290	00	00	21
					246	00	00	09
					194	00	01	42
5	गोघाट	गोघाट-1	आमदपुर-120	LRSM	216	00	00	10
6	गोघाट	गोघाट-1	गोघाट-96	LRSM	3308	00	00	25
7	गोघाट	गोघाट-1	बुंइत्या-94	RSM	816	00	00	26
					808	00	00	27
					150	00	00	20
8	गोघाट	गोघाट-1	भावादिघी-76	LRSM	635	00	02	97
9	गोघाट	गोघाट-1	गोलपुर-75	RSM	2812	00	00	12
					1512	00	01	20
					584/3142	00	01	16
10	गोघाट	गोघाट-1	साञ्चा-48	LRSM	256	00	00	11
11	गोघाट	गोघाट-2	आगाइ-4	RSM	1766	00	02	30
					1758	00	09	30
					2492	00	01	70
					1727	00	02	90
					1726	00	02	30
					2430	00	01	40
					1723	00	02	00
					1722	00	01	90
					1724	00	00	90
					1721	00	03	30
					1720	00	03	30
					737	00	09	80
					736	00	03	30
					734	00	00	30
					735	00	04	80
					733	00	00	30
					732	00	03	80
					731	00	03	90
					727	00	00	30

					728	00	09	50
12	गोघाट	गोघाट-2	खाटुल-3	RSM	2041	00	00	50
					2035	00	01	20
					2036	00	07	30
					2034	00	00	30
					2033	00	03	80
					2873	00	00	90
					2031	00	04	60
					2030	00	00	30
					2029	00	02	20
					2028	00	03	00
					1942	00	08	00
					1943	00	08	80
					1944	00	00	30
					1947	00	06	70
					1946	00	00	30
					1948	00	02	80
					1949	00	04	80
					1951	00	01	50
					1952	00	03	00
					1953	00	04	50
					1916	00	00	30
					1915	00	00	60

[फा. सं. आर-12030/2/2022-ओआर-1/ई-44834]

एस.एस.सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2024

S.O. 4671(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.3139(E) dated the 2nd August, 2024, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 6th August, 2024, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of LPG from Haldia to Panagarh Pipeline in the State of West Bengal by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public on the 5th September, 2024;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying this pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline;

SCHEDULE

District: Hooghly						State: West Bengal		
Sl. No.	Police Station	Block	Mouza & J.L No.	Map Publication Type	Plot No.	Area		
						Hect	Are	Sq. Mtr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Goghat	Goghat-I	Belekusuma-196	RSM	1428/1486	00	00	05
					1389	00	00	29
					1044	00	00	62
					1002	00	00	40
2	Goghat	Goghat-I	Nakunda-187	LRSM	4535	00	00	09
					6122	00	00	70
					6136	00	00	76
					6218	00	00	30
					6455	00	00	72
					6429	00	01	18
					6423	00	00	61
					6175	00	00	19
3	Goghat	Goghat-I	Kurmana-118	RSM	1436	00	00	10
					881	00	01	04
					715	00	00	35
4	Goghat	Goghat-I	Sunia-119	RSM	3672	00	00	30
					3674	00	00	04
					3670	00	00	16
					3667	00	00	37
					3656	00	00	02
					3560	00	00	21
					3479	00	00	02
					3477	00	00	35
					1439	00	00	24

					1429	00	00	39
					332	00	00	19
					342/1602	00	00	79
					290	00	00	21
					246	00	00	09
					194	00	01	42
5	Goghat	Goghat-I	Amadpur-120	LRSM	216	00	00	10
6	Goghat	Goghat-I	Goghat-96	LRSM	3308	00	00	25
7	Goghat	Goghat-I	Buintya-94	RSM	816	00	00	26
					808	00	00	27
					150	00	00	20
8	Goghat	Goghat-I	Bhabadighi-76	LRSM	635	00	02	97
9	Goghat	Goghat-I	Golpur-75	RSM	2812	00	00	12
					1512	00	01	20
					584/3142	00	01	16
10	Goghat	Goghat-I	Sancha-48	LRSM	256	00	00	11
11	Goghat	Goghat-II	Agai-4	RSM	1766	00	02	30
					1758	00	09	30
					2492	00	01	70
					1727	00	02	90
					1726	00	02	30
					2430	00	01	40
					1723	00	02	00
					1722	00	01	90
					1724	00	00	90
					1721	00	03	30
					1720	00	03	30
					737	00	09	80
					736	00	03	30
					734	00	00	30
					735	00	04	80
					733	00	00	30
					732	00	03	80
					731	00	03	90
					727	00	00	30
					728	00	09	50
12	Goghat	Goghat-II	Khatul-3	RSM	2041	00	00	50
					2035	00	01	20
					2036	00	07	30

					2034	00	00	30
					2033	00	03	80
					2873	00	00	90
					2031	00	04	60
					2030	00	00	30
					2029	00	02	20
					2028	00	03	00
					1942	00	08	00
					1943	00	08	80
					1944	00	00	30
					1947	00	06	70
					1946	00	00	30
					1948	00	02	80
					1949	00	04	80
					1951	00	01	50
					1952	00	03	00
					1953	00	04	50
					1916	00	00	30
					1915	00	00	60

[F. No. R-12030/2/2022-OR-I/44834]

S.S. SINGH, Under Secy.